भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2528

दिनांक 03 अगस्त, 2026 को उत्तर देने के लिए

सीपीएसई में बोर्ड स्तर के पदों को भरना

2528. **श्री काली चरण सिंह:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) वार 30 जून 2026 की स्थिति के अनुसार अध्यक्ष, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी), प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के स्वीकृत तथा भरे गए पदों का ब्यौरा क्या है;
(ख) बोर्ड स्तर पर छह महीने से अधिक और एक वर्ष से अधिक समय से क्रमश: खाली पड़े ऐसे पदों की संख्या कितनी है;
(ग) क्या स्वतंत्र निदेशकों की कमी के कारण बोर्डों, लेखापरीक्षा समितियों, सीएसआर समितियों और अन्य वैधानिक समितियों की बैठकें प्रभावित हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने उपयुक्त चयन प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्तियों को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा तय की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ताकि लंबे समय से चली आ रही रिक्तियों से सीपीएसई के प्रशासन, निवेश निर्णयों, परियोजना कार्यान्वयन और वित्तीय प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) सीपीएसई में अध्यक्ष/सीएमडी/एमडी (स्तर-I) और कार्यात्मक निदेशक (स्तर-II) के पदों पर कार्मिकों के चयन और सिफारिश के लिए उत्तरदायी है। हालांकि, कुछ मामलों में, सरकार किसी विशेष बोर्ड स्तर के पद को पीईएसबी प्रक्रिया के अलावा अन्य तरीकों के माध्यम से भरने का निर्णय ले सकती है, जैसे कि प्रतिनियुक्ति के आधार पर परीक्षण-सह-चयन समिति (एससीएससी) प्रक्रिया, आदि, अथवा विशेष बोर्ड स्तर के पद(दों) को प्रास्थगन रखने का निर्णय ले सकती है।

पीईएसबी से उपलब्ध सूचना के अनुसार, सीपीएसई में बोर्ड स्तर के पदों को पीईएसबी प्रक्रिया के माध्यम से भरे जाने के मामले में, दिनांक 30.07.2026 से पहले रिक्ति की तारीख वाले विभिन्न सीपीएसई में पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशकों के 22 रिक्त पद (सीएमडी/एमडी के 7 पद और कार्यात्मक निदेशक के 15 पद) रिक्त हैं। इन 22 पदों में से, केवल तीन पद छह माह से अधिक समय से खाली हैं। पीईएसबी ने दिनांक 30.07.2026 से पहले रिक्ति की तारीख वाले बोर्ड स्तर के अन्य रिक्त पदों के लिए पहले ही अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं, ताकि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन/निर्णय हेतु संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की जा सके। उपलब्ध सूचना के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (एलओडीआर) विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, इस समय, विभिन्न सीपीएसई में लगभग 750 पदों की आवश्यकता की तुलना में गैर-शासकीय (स्वतंत्र) निदेशकों के 75 पदों को भरा गया है। परीक्षण समिति ने विभिन्न सीपीएसई बोर्डों में गैर-शासकीय (स्वतंत्र) निदेशक के पदों के लगभग 100 से अधिक पदों को भरने के लिए सिफारिशें की हैं।

(ग): बोर्ड और बोर्ड समितियों की बैठकें कंपनी अधिनियम, 2013 और/अथवा सेबी (एलओडीआर) विनियमों के संगत प्रावधानों के अनुसार आयोजित की जानी अपेक्षित होती हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ बोर्ड समितियों के गठन का भी प्रावधान करते हैं। सीपीएसई स्वतंत्र बोर्ड-संचालित संस्थाएं हैं जो कि संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक क्षेत्राधीन कार्य करती हैं। सीपीएसई के निदेशक बोर्ड और संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को बोर्ड और बोर्ड समितियों के सुचारू कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए इन प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना अपेक्षित है।

(घ) और (ङ): सरकार का यह सुनिश्चित करने का निरंतर प्रयास रहा है कि सीपीएसई में बोर्ड स्तर के पदों को मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार समयबद्ध तरीके से भरा जाए। सरकार ने सीपीएसई में बोर्ड स्तर के पदों पर नियुक्ति और विस्तार/विस्तार न करने के प्रस्तावों को संसाधित करने के लिए समय-सीमा जारी की है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को किसी पद के लिए कार्य विवरण (जेडी) शुरू करना होता है और इसकी सूचना पीईएसबी को नियत समय अर्थात् रिक्ति होने की तारीख से एक वर्ष की नियत अवधि से तीन माह पहले देनी होती है। यदि कोई मंत्रालय/विभाग निर्धारित समय के भीतर किसी पद के लिए जेडी को पीईएसबी को अग्रेषित नहीं करता है, तो पीईएसबी रिक्ति होने से एक वर्ष पहले जेडी शुरू करता है और मंत्रालय/विभाग के साथ परामर्श शुरू करता है ताकि चयन प्रक्रिया तेजी से शुरू की जा सके। मौजूदा और प्रत्याशित-दोनों रिक्तियों की स्थिति का पता लगाने और समय पर कार्रवाई शुरू करने के लिए, पीईएसबी ने एक व्यापक रिक्ति ट्रैकिंग डैशबोर्ड विकसित किया है जो रिक्ति के सृजन, कार्य विवरण की शुरुआत, पद का विज्ञापन देने, आवेदनों की स्क्रीनिंग/शॉर्टलिस्टिंग करने और चयन बैठकों को बुलाने जैसे विभिन्न मील के पत्थरों को दर्शाता है।
सरकार ने सीपीएसई में बोर्ड स्तर के रिक्त पदों पर कार्मिक आवश्यकता हेतु अतिरिक्त प्रभार समनुदेशित करने के संबंध में दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं ताकि सीपीएसई के नियमित कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
